बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

—:: अधिसूचना ::—

पटना—15, दिनांक— 25/1/17

संख्या — मं0मं0—01/मंत्रिपरिषद—13/2011/......105....../भारत संविधान के अनुच्छेद—166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :—

—:: संशोधन ::—

1. कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम, 22(2) में उल्लिखित शब्द 'श्रेणी—2' एवं शब्द 'सचिव' क्रमशः 'समूह—ख' तथा 'प्रधान सचिव/सचिव" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

2. उक्त नियमावली, 1979 के नियम—32(क)(ix)(i) एवं (ii) एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं।

3. उक्त नियमावली, 1979 के नियम—32(क) (xvii) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

4. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका—22 का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"22. सभी ऐसे लोक पद के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव चाहे पद का अधिकतम वेतन जो भी हो।"

5. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका—27 में उल्लिखित शब्द समूह "ऐसी सिविल ....वेतन जो भी हो; परन्तु"को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

6. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका—28 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"28. समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी की बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति संबंधी प्रस्ताव, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो।"

7. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका—30 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"30. समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारियों के विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव।"

8. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग 'ख' के क्रमांक—'6' के उपरान्त निम्नलिखित नया क्रमांक—'7' जोड़ा जाएगा :—

7. नियुक्ति संबंधी मामले (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अनुशंसित मामलों सहित)		(निर्णय) सक्षम प्राधिकार	
(i)	समूह—'क' (विभागाध्यक्ष सहित)	(i)	मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
(ii)	समूह—'ख'	(ii)	प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री
(iii)	समूह—'ग' एवं 'घ'	(iii)	प्रधान सचिव/सचिव या विभागाध्यक्ष या सरकार द्वारा घोषित नियुक्ति प्राधिकार

9. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग 'ख' के क्रमांक–6 (ii) एवं (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएगें :–

6. नियुक्ति संबंधी मामले (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अनुशंसित मामलों सहित)	(निर्णय) सक्षम प्राधिकार
(ii) राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पद/ विभागाध्यक्ष के प्रोन्नति के मामलों को छोड़कर अन्य सभी प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० / डी०ए०सी० पी०)इत्यादि की स्वीकृति के मामले।	(ii) प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री
(iii) राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पद/ विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति/ वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० /डी०ए०सी०पी०) इत्यादि की स्वीकृति के मामले।	(iii) मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 25/1/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद–13/2011/105/दिनांक– 25/1/17

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/सभी माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 25/1/17

सरकार के प्रधान सचिव